मोहरसिंह – ओमप्रकाश 106/14

दिनांक	आज्ञा पत्र	
8-1-18	पत्रावली प्रस्तुत [illegible] पीठासीन [illegible] पर है। अतः पत्रावली पूर्व [illegible] 18 को पेश हो।	
26-3-18	पत्रावली प्रस्तुत अधिकारी [illegible] से अपर न्यायिक कार्य स्थगित [illegible] पूर्व आज्ञानुसार दिनांक [illegible] को पेश हो।	
25-6-18	बार-बार [illegible] लाई गई। अपीलांट एवं [illegible] नोटिस जारी हो। तदन्त का रेकार्ड [illegible] अपीलांट का वकील कोई हाजिर नहीं आया। अतः [illegible] कदम [illegible] एवं [illegible] परवी साबित होने से अपील खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official